तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

27/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थीगण के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act के प्रावधानों को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है :-

(क) प्रकरण प्रथम हस्तक्षेप :- अधि० प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम खामनी तहसील सुनेल की गडुस्त आराजी ख० नं० 279 रकबा 3.1752 hect प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी है जबकि ख० नं० 389/284 रकबा 2.2131 hect अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी है। दोनों भूमियों के मध्य से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क ख० नं० 289 व 283 निकल रही है। अप्रार्थीगण अपने खेत के बरसाती पानी को निकालने के लिए उक्त सड़क को काटकर प्रार्थीगण की भूमि की दाहिनी सीमा से होकर नया नाला बनाकर प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करने पर आमादा है जबकि बरसाती पानी की निकासी हेतु प्रार्थीगण के खेत की उत्तरी मेड के सहारे से पश्चिम दिशा की ओर एक नाला पहले से बना हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को बलपूर्वक प्रार्थीगण के खेत से नाला बनाकर बरसाती पानी निकाल कर प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करने व प्रार्थीगण की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का कोई हक व अधिकार नहीं है।

अधि० अप्रार्थीगण ने उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि PWD द्वारा सड़क निर्माण से पूर्व वर्षों से अप्रार्थीगण व आस पास के खातेदारों के खेतों का बरसात [illegible] ढलान (पूर्व से पश्चिम होने से) अनुसार [illegible] ही निकलता आ [illegible] बन्द कर पानी को रोक दिया है जिससे बरसात का पूरा पानी अप्रार्थीगण के खेत ख० नं० 389/284 में भरने से पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म व हुक्म में जारी	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	कोई विघ्न नहीं डाला बल्कि पूर्व से चले आ रहे बरसाती पानी के प्रवाह में प्रार्थीगण द्वारा उत्पन्न किये अवरोध को हटाना चाहते हैं ताकि किसी की फसल नष्ट नहीं हो। अप्रार्थीगण ने सड़क निर्माण के समय भी XEN (PWD) Jhalawar, AEN (PWD) Sunel एवं निर्माण करने वाली कम्पनी के विरुद्ध एक परिवाद तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष भी पेश किया था। अतः प्रार्थीगण का प्रा० पत्र खारिज किये जाने योग्य है।	
	बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम खामणी की वादग्रस्त आराजी पाऊखेड़ी से भिलवाड़ी MDR सड़क के दोनों ओर वादग्रस्त आराजी स्थित है। सड़क के पश्चिम में प्रार्थीगण की भूमि ख०न० 279 रकबा 3.1742 hac स्थित है तो सड़क की पूर्वी ओर ख०न० 389/284 रकबा 2.2131 hac स्थित है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण के खेत के बरसाती पानी का बहाव बर्षों से प्रार्थीगण के खेत की उत्तरी सीमा के सहारे बने नाले में था जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण की बरसाती पानी की निकासी पूर्व से ही प्रार्थीगण के खेत से होकर थी जिसे सड़क बनने के बाद प्रार्थीगण द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। प्रकरण के शीघ्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी निस्तारण हेतु तहसीलदार सुनेल एवं सहायक अभियंता सुनेल की संयुक्त मौका रिपोर्ट तलब की गई। संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28/11/2024 के अनुसार ग्राम खामणी के ख० न० 282 व 283 से होकर PWD विभाग द्वारा MDR सड़क का निर्माण किया जा चुका है। उक्त MDR रोड के दोनों तरफ (प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों की ओर) JCB मशीन से पानी निकासी की [illegible] बनाई गई है। यही भी अंकित किया [illegible] 284 व अन्य आस पास के खेतों [illegible] अधिक आवक होने से PWD विभाग [illegible] सड़क के नीचे मध्य में एक बड़ा पाईप भी डाल रखा है ताकि पानी निकल जाये। ख०न० 389/284 का बरसाती पानी इस तरफ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुनेल जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...

सड़क के सहारे PWD द्वारा JCB मशीन से बनाई कच्ची नाली से होकर फिर पश्चिम मे ख० न० 279 की उत्तरी मेड के सहारे बनी खाल मे मिल जाता है। इसी प्रकार प्रार्थीगण के खेत ख० न० 279 का बरसाती पानी इस तरफ सड़क के सहारे बनी कच्ची नाली से होता हुआ खेत की उत्तरी मेड के सहारे बनी खाल (नाला) मे मिल जाता है। लेकिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ने अपनी-अपनी तरफ की JCB मशीन से बनाई गई कच्ची नालीयों को मिट्टी डालकर बंद कर रखा है, जिससे दोनो ही पक्षकारो के खेतो मे बरसाती पानी भरने की संभावना रहती है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश मौका रिपोर्ट 08/07/2021 जो परिवादी/प्रतिवादी, अपरिवादी/वादीगण व अन्य ग्राम वासियो की उपस्थिति मे बनाई गई थी- के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम खामणी (के ख० न० 279) एवं ग्राम गुंडी की सीमा पर रिकार्ड मे कोई नाला नहीं है, बल्कि काश्तकारो की भूमि से होकर आने जाने के लिए एक कच्चा रास्ता बना हुआ है जो बरसाती पानी की निकासी के रूप मे काम आता है। यह रास्ता/नाला मुख्य MDR सड़क से लगवा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। PWD विभाग द्वारा सड़क के नीचे पानी निकासी को दिया गया बड़ा पाईप चालू है।

XEN (PWD) Jhalawar व AEN (PWD) Sunel द्वारा तालुका विधिक सेवा समिति भवानीमंडी के समक्ष पेश जवाव प्रा० पत्र दिनांक 03/09/2024 के अवलोकन से भी जाहिर है कि अप्रार्थीगण द्वारा बार-बार अपने खेत ख० न० 389/284 मे बनी कच्ची नाली को मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे [illegible] हो रही है।

उपरोक्त [illegible] व विश्लेषण [illegible] आधार पर स्पष्ट है कि सड़क [illegible] गई बड़ी पाईप लाइन को प्रार्थीगण ने कभी [illegible] नहीं किया है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा बार-बार अपनी तरफ सड़क के सहारे बनी कच्ची नाली को (उत्तरी भाग मे) मिट्टी डाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा…	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

कर बंद करने से बरसाती पानी की, विशेषतः आधिक बारिश होने पर, की निकासी दोनो गांवो की सीमा पर बनी गडार (नाली) तक नही होने से जल भराव होता है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण मे जल प्रवाह आधिक होने या आधिक बारिश होने पर दोनो पक्षकारान के खेतो मे पानी भरने से दोनो की ही फसल खराब होती है लेकिन जल भराव का मुख्य कारण अप्रार्थीगण द्वारा इसकी ओर सडक के सहारे बनी कच्ची नाली को बडे पाईप के उत्तर मे मिट्टी डालकर अवरुद्ध करना है। यदि अप्रार्थीगण इस नाली को अवरुद्ध नही करे तो कुछ पानी बडे पाईप से होकर प्रार्थीगण की ओर बनी कच्ची नाली के माध्यम से एवं शेष बरसाती पानी अप्रार्थीगण की ओर बनी कच्ची नाली से सडक के सहारे होते हुऐ उत्तर दिशा मे सडक के उपर से निकल खामणी व गुणाडी ग्रामो की सीमा पर बनी गडार / कच्चा रास्ता / नाले मे मिल जायेगा। अतः स्थगन जारी नही करने से अप्रार्थीगण की तुलना प्रार्थीगण को आधिक असुविधा होगी क्योंकि नाली अप्रार्थीगण अवरुद्ध कर रहे है। अतः प्रकरण मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है।

(स) अपूरणीय क्षति :- अप्रार्थीगण द्वारा PWD विभाग द्वारा बनाई [illegible] कच्ची नाली [illegible] बडे पाइप के उत्तर मे मिट्टी [illegible] के सम्पूर्ण बहाव [illegible] से आधिक बारिश [illegible] प्रार्थीगण के [illegible] ख०न० 279 मे पानी भरने से फसल खराब होती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	अतः प्रार्थीगण को अस्थायी आज्ञा जारी होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की भूमि ख० नं० 279 में कोई भी नाली नहीं बनावें और स्वयं के खेत ख० नं० 389/284 में मुख्य पाईप के ऊपर से सड़क सहारे बनी PWD की नाली को मिट्टी डालकर अवरुद्ध नहीं करें। TDR Sunel एवं SHO Sunel सुनिश्चित करें कि कोई भी MDR सड़क के दोनों ओर PWD विभाग द्वारा JCB मशीन से पूर्व में बनाई कच्ची नालीयों को अवरुद्ध नहीं करें ताकि बरसाती पानी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध नहीं हो और किसी भी पक्ष को अनावश्यक नुकसान नहीं हो। पत्रावली कैलाशकुमार केस नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। [signature] 10/03/2025 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:24:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner